केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

दिनांक: 07.09.2017

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/270
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00262
CICOM/R/2017/00967

अपीलकर्ता : श्री सुभाष चन्द्र, पुत्र श्री बनबारी लाल,
25/117, गली नं. 3,
नई बस्ती, बहादुरगढ़ - 124507.

निर्णय की तारीख: 07.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर.पी.ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	29.08.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/354/05.09.2017

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 27.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से माननीय सूचना आयुक्त श्री एम. श्रीधरआचार्युलू द्वारा अगस्त, 2014 में श्री ओम प्रकाश बनाम लैंड एंड बिल्डिंग विभाग के मामले में जारी आदेश की सत्यापित प्रति की मांग की गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण वांछित आदेश ढूंढने हेतु अपर्याप्त है, अतः सूचना नहीं दी जा सकती । अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा उक्त आदेश को आयोग की वेबसाइट में ढूंढने पर पाया गया कि उक्त ओदश वेबसाइट पर उपलब्ध है आयोग की वेबसाइट से उक्त आदेश की डाउनलोड की गई प्रति अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु इस आदेश के साथ संलग्न है । अपीलकर्ता चाहें तो खुद भी इस आदेश की प्रति http://ciconline.nic.in/rti/docs/cic_decisions/CIC_DS_A_2013_001788-SA_M_138483.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

संलग्नक - यथोपरि ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

O/C

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।

Recd 07/09/17

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
07 SEP 2017
D. No.......
Initials.......